

Sanjay Kumar, IAS
Secretary, Health
cum
Executive Director

S. No. 13
State Health Society, Bihar

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014

Tele : 0612-2281545, 2290328, Fax : 0612-2290322

Email : ed@statehealthsocietybihar.org

ed_shsbihar@yahoo.co.in

Web : www.statehealthsocietybihar.org



सेवा में,

- सभी जिलापदाधिकारी, बिहार।
- सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पत्रांक -SHSB/Gen.Admin/134/08/...2694!...
पटना, दिनांक...04.08.11...

प्रसंग:- भारत सरकार के मिशन निदेशक श्री पी. के. प्रधान के पत्र संख्या Z.18015/8/2011-
NRHM-II दिनांक 25 जुलाई 2011 के संलग्न पत्र को संदर्भित करें।

विषय:- "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता समिति" को "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति
-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" के रूप में नामित करने के
संबंध में।

महाशय/महाशया,


भारत सरकार से प्राप्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निदेशित किया गया है कि पूर्व में गठित
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में पोषण को समाहित करते हुये इसे ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण
समिति के रूप में नामित किया जाय। विदित हो कि पंचायतीराज अधिनियम, 2006 की धारा-25(5) के
अंतर्गत गठित स्थाई समिति-लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति को स्वास्थ्य विभाग
की ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रूप में Co-opt कर लिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि पोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे इन आँकड़ों से समझा जा सकता है कि,
0-3 वर्ष के underweight बच्चों का राष्ट्रीय औसत 40% है जबकि बिहार में यह लगभग 55% है। वहीं
Anaemic woman in reproductive age group (15-49 years) का राष्ट्रीय औसत 56.2% है जबकि बिहार में
यह 68.2% है। इन आँकड़ों के विश्लेषण से बिहार में पोषण का महत्व स्थापित होता है।

उपर्युक्त के आलोक में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं
पोषण समिति के रूप में नामित किया जाता है तथा उक्त समिति के कार्यों में पोषण संबंधी भारत सरकार के
निदेश को अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया जाता है।

अन्य सभी दिशा-निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

विश्वासभाजन,


(संजय कुमार)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव-पंचायतीराज, प्रधान सचिव-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, सचिव-समाज कल्याण,
निदेशक-सामेकित बाल विकास परियोजना, कृप्या अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारी को निदेशित
करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि:- सलाहकार NRHM को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/Divisional Co-ordinator ASHA/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/District
Community Mobiliser बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2011

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Office of AD (NRHM)

Dy. No. 122

Date: 14/12/11

13.12.11

176-NRHM-II

15/12/11